



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
निगरानी-4532/2018/श्योपुर/भू.रा. जिला-श्योपुर
प्रकरण क्रमांक- /2018 निगरानी

1. श्रीमती मेमूना बेवा श्री सिराज
2. निसार पुत्र श्री सिराज
निवासीगण- ग्राम केलोर तहसील करहाल,
जिला- श्योपुर, हाल निवासी- कमले के पास,
श्योपुर जिला- श्योपुर (म0प्र0)
..... निगरानीकर्तागण

श्री. 291 कुशावाह कोर
म.प्र. 16-7-18
प्रस्तुत! प्रा. 30-7-18
दिनांक
सिलिक ऑफिस कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला- श्योपुर
..... गैरनिगरानीकर्ता
2. खलील पुत्र इस्माईल
निवासी- ग्राम केलोर तहसील करहाल,
जिला- श्योपुर, (म0प्र0)
3. इस्माईल पुत्र गेंदे खों अंसारी
निवासी-कागजी टोढ़ी, श्योपुर जिला-श्योपुर
4. मुन्ना पुत्र इसहाक
निवासी- ग्राम केलोर तहसील करहाल,
जिला- श्योपुर (म0प्र0) हाल निवासी- मेवाती
मौहल्ला, श्योपुर (म0प्र0)
.....तरतीवी पक्षकार/रेस्पोंडेण्ट्स

निगरानी-4532/2018/श्योपुर/भू.रा.
प्रकरण क्रमांक- 29/2015-16/स्व0 निग0/अपर कलेक्टर में पारित
दिनांक- 02.02.2018 को प्रकरण
क्रमांक- 29/2015-16/स्व0 निग0/अपर कलेक्टर में पारित
आदेश के विरुद्ध

निगरानी आवेदन-पत्र अंतर्गत धारा-50 (2) म0प्र0 भू-राजस्व
संहिता 1959

न्यायालय कलेक्टर श्योपुर द्वारा दिनांक-02.02.2018 को प्रकरण
क्रमांक- 29/2015-16/स्व0 निग0/अपर कलेक्टर में पारित
आदेश के विरुद्ध

M


h

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4532- /2018/भूरा जिला-श्योपुर

कार्यवाही तथा आदेश

स्थान तथा दिनांक		पक्षकारों एवं अभिमात्रों के हस्ताक्षर
6.2.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री सुरेश कुशवह उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 29/2015-16/स्व0 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 02/02/18 के विरुद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा-50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:-</p> <p>धारा-50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन-</p> <p>(ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जावेगा।</p> <p>3-परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नहीं होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों।</p> <p>पेशी दिनांक 15/4/19</p> <p>अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना</p>	 सदस्य